न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–55/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00043)

1. श्रीचन्द पुत्र श्योराम जाट,
2. चन्द्रसिंह पुत्र भूराराम जाट निवासी ग्राम गढ़लाकलां, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु।
2. तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3. हरफूल पुत्र स्व. श्री मामराज जाट,
4. किशनाराम पुत्र स्व. श्री मामराज जाट,
5. बूटीराम पुत्र स्व. श्री दयाला जाट,
6. हमीरचन्द पुत्र स्व. श्री पूरणमल जाट,
7. रामनाथ पुत्र स्व. श्री सोना जाट,
8. हरचन्द पुत्र स्व. श्री सोना जाट, समस्त निवासी गढ़लाकलां, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री श्यामबाबू पारीक, एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से**
2. **श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 24.01.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम गढ़लाकलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 511 रकबा 4.75 हैक्टयर के अपीलार्थीगण व अन्य व्यक्ति काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा इस तथ्य को स्वयं तहसीलदार उदयपुरवाटी ने स्वीकार किया है किन्तु अपीलार्थीगण की पीठ पीछे बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का कतई कोई अवसर व नोटिस दिये बिना ही अपीलार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 511 में 250 वर्गमीटर भूमि में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो आदेश पूर्णतया विधि विधान व पत्रावली तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण के विवादित मुद्दे को एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियिम 58, 59, 60, 66 एवं 86 को कतई सही एवं वास्तविक अर्थो में समझे बिना ही अपना अनुचित एवं अवैध तथा क्षेत्राधिकार विहिन आदेश जैरे अपील पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 511 के कबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खसरा नम्बर 511 में कभी भी पूर्व में या वर्तमान में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रास्ता प्रचलन में एवं विद्यमान नही रहा है इस सम्बन्ध में पटवारी/गिरदावर हल्का तथा तहसीलदार ने किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्र निष्पक्ष जॉच नही की गई तथा तहसील कायालय में बैठे बैठे ही अपनी मनमर्जी से गलत रिपोर्ट तैयार की है एवं कथाकथित रिपोर्ट दिनांक 16.11.2016 किसके सामने बनाई गई, ना ही किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का ही कोई अवसर दिया गया ।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अनुचित अवैध तथा क्षेत्राधिकार विहीन आदेश जैर अपील दिनांक 08.12.2016 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.02.2019 को उस समय हुई जब दिनांक 21.02.2019 को पटवारी हल्का भूमि वादग्रस्त पर मौके पर आया तथा अपीलार्थीगण से कहा कि तुम्हारी भूमि खसरा नम्बर 511 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किय जाने के आदेश हो चुके है तथा अब तुम्हारी भूमि में से रास्ता निकालेंगे इस प्रकार प्रार्थी दिनांक 21.0.2019 को उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के कार्यालय में जाकर इस सम्बन्ध में मालूमात की तो दिनांक 25.02.2019 को सर्वप्रथम बार आदेश जैर अपील की जानकारी हुई, परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करने वास्ते अपीलार्थी ने दिनांक 25.02.2019 को आदेश जैर अपील की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु नकल प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 25.02.2019 को आदेश जैर अपील की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हुई एवं तिथि बोध से यह अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष समयावधि में प्रस्तुत की गई अन्यथा में भी आदेश जैर अपील क्षेत्राधिकार विहीन आदेश है एवं ऐसे क्षेत्राधिकार विहीन आदेशों पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है एवं ऐसे आदेशों को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में उदारता का नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रचलित रास्तों को राज्य सरकार के आदेश से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2016 पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 ने कथन किया है कि ग्राम गढ़लाकलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 466, 467, 468, 717/468, 718/468, 721/468, खसरा नम्बर 722/468, खसरा नम्बर 723/468, खसरा नम्बर 724/468, खसरा नम्बर 720/468, खसरा नम्बर 726/468, खसरा नम्बर 728/468, खसरा नम्बर 729/468 व खसरा नम्बर 511 के खातेदार कृषक है और रेस्पोडन्ट को अपनी खातेदारी की कृषिजोत में आने–जाने हेतु गत 40 वर्षो से उक्त रास्ते का उपयोग निरन्तर करते चले आ रहे है और रेस्पोडेन्ट के पास अपनी कृषिजोत में आने –जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता कायम नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी ने वास्तविक तथ्यों की जांच कर प्रस्तुत के संलग्न सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित खातेदारी की भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का अनुरोध उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को किया गया तथा राज्य सरकार के परिपत्र तथा मौके की स्थिति के अनुरूप उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने दिनांक 08.12.2016 को अपीलरधीन आदेश द्वारा उक्त भूमि में पूर्व से कायम रास्ते को राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज किये जाने मात्र का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2016 की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को पक्षकार बनाते हुए रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रचलित (बारहमासी) रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर .अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2016 पारित किया गया है किन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदारान को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना एवं प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त प्रकरण में अग्रिम विधि सम्मत कार्यवही की जावें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।